न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क आर0ए0एस0

पंचायत पुनर्विलोकन संख्या – 22/2016

1. अनोप सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ततारपुरा, ग्राम पंचायत इटावा लाखा, तहसील व पंचायत समिति मकराना जिला नागौर।

....................प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती संतोष बेवा रामदेव, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम ततारपुरा, ग्राम पंचायत इटावा लाखा, तहसील व पंचायत समिति मकराना जिला नागौर।
2. ग्राम पंचायत हरनावा पट्टी, पंचायत समिति परबतसर, जरिये सरपंच/ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत हरनावा पट्टी जिला नागौर।
3. ग्राम पंचायत इटावा लाखा, पंचायत समिति परबतसर, जरिये सरपंच/ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत इटावा लाखा, जिला नागौर।
4. राजस्थान सरकार, जरिये जिला कलक्टर, नागौर।

.........अप्रार्थीगण

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री मो0 अली शेरानी प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक :–26.03.2021

1. यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(3) के अन्तर्गत न्यायालय हाजा की निगरानी संख्या 05/2013 बअनुवान संतोष बनाम अनोप सिंह व अन्य पारित निर्णय दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध पेश किया गया है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 01 से 04 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

2. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि :–

A. कि अप्रार्थिया संख्या 01 ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष एक पंचायत निगरानी संख्या 05/2013 (संतोष बनाम अनोप सिंह व अन्य) ग्राम पंचायत हरनावा पट्टी, पंचायत समिति परबतसर के प्रस्ताव दिनांक 04.01.1996 व निर्णय दिनांक 10.03.1996 जिसके द्वारा प्रार्थी के नाम ततारपुरा में एक आबादी भूमि 280 वर्ग फुट का जमीन का पट्टा जारी किया गया, के प्रस्ताव व निर्णय द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करने हेतु पेश की गयी जिसमें न्यायालय ने जो निर्णय दिनांक 23.05.2016 को पारित किया है वह न्यायालय ने तथ्यात्मक व विधिक प्रावधानों की पालना की भूल के साथ–साथ तात्तविक तथ्यों की अनभिज्ञता तथा ऐसी भूल व गलती के तहत पारित किया है जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती है।

B. कि न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 05/2013 (संतोष बनाम अनोप सिंह व अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2016 द्वारा यह आदेश पारित किया कि पट्टा संख्या 73 दिनांक 10.03.1996 जिसका रिकार्ड ग्राम पंचायत हरनावा पट्टी व इटावा लाखा में उपलब्ध नहीं है, जो पट्टा संख्या 57 रामदेव पुत्र श्री भागुराम के पक्ष में जारी किया गया है, के पृष्ठ संख्या 02 में किये गये अनाधिकृत प्रविष्टियों तथा पड़ोस का क्षैत्रफल विक्रय अंकन के संदर्भ में बनाया गया है, को धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त किया जाता है। इस संबंध में न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में भारी तथ्यात्मक व कानूनी भूल की है क्योंकि न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पट्टा संख्या 73, पट्टा संख्या 57 के पृष्ठ संख्या 02 में की गई अनाधिकृत प्रविष्टियों तथा पड़ौस का क्षेत्रफल विक्रय के संदर्भ में बनाया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को दोनो पट्टों अर्थात् पट्टा संख्या 57 दिनांक 15.02.1996 जो कि ग्राम पंचायत हरनावां पट्टी के संकल्प संख्या 01 दिनांक 04.01.1996 के तहत पारित किया गया है व पट्टा संख्या 73 दिनांक 10.03.1996 की विधिकता, औचित्य व उन बाबत हुई कार्यवाहियों की नियमितता के लिए स्वयं का समाधान करना चाहिए था, परन्तु न्यायालय ने ऐसा नहीं करके तथ्यात्मक व विधिक भूल की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

C. कि इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियां पेश कर मय दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय की जानकारी में लाया गया कि पट्टा संख्या 57 से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत हरनावां में उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिती में न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि वह सर्वप्रथम पट्टा संख्या 57, संकल्प संख्या 01 दिनांक 04.01.1996 जारी दिनांक 15.02.1996 की विधिकता के बारे में अपना समाधान करता जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की वृहद्पीठ ने चिमन लाल बनाम राज्य सरकार, रिपोर्टेड इन RLW 2000 (2) Raj. Page 911 में अभिनिर्धारित किया कि "revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brought to their notice" परन्तु हस्तगत प्रकरण में न्यायालय की जानकारी में यह तथ्य, कि अप्रार्थिया अपने पति के नाम पट्टा होने का कथन करती है उससे संबंधित दस्तावेज ग्राम पंचायत हरनावां पट्टी में उपलब्ध नहीं है, लाने के बावजूद भी न्यायालय ने पट्टा संख्या 57 दिनांक 15.02.1996 की विधिकता बाबत् स्वयं का समाधान नहीं किया जो कि विधिक प्रावधानों एवं माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध होने से निर्णय दिनांक 23.05.2016 का पुनर्विलोकन करना आवश्यक एवं विधि सम्मत है।

D. कि न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.05.2016 के पृष्ठ संख्या 8 में यह अभिनिर्धारित किया कि "ग्राम पंचायत हरनावां पट्टी द्वारा मिसल संख्या 22 दिनांक 5.1.96 के संदर्भ में पट्टा संख्या 57 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह पट्टा रामदेव पुत्र भागुराम मेघवाल निवासी ततारपुरा को जारी किया गया" तथा उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या 8 व 9 में यह अभिनिर्धारित किया कि "पट्टा संख्या 73 जो 10.03.96 को जारी किया गया है उससे संबंधित मिसल 173/5.2.96 को दायर की गयी तथा इस पट्टे में यह उल्लेखित किया गया है कि पंचायत के संकल्प संख्या 01 दिनांक 04.01.96 को पारित किया गया, यह कैसे संभव है कि पट्टे की मिसल संख्या 173 प्रथम बार 05.02.96 को संधारित की गई हो तथा उसका प्रस्ताव एक महिने पहले 4.01.96 को पारित कर दिया जावे ?" न्यायालय के इस विनिश्चय के संबंध में प्रार्थी का निवेदन है कि न्यायालय ने उक्त अभिनिर्धारण व विनिश्चय में भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है, क्योंकि न्यायालय ने पट्टा संख्या 57 (संकल्प संख्या 01 दिनांक 04.01.1996) दिनांक 15.02.1996 का सही रूप से

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

अवलोकन नहीं किया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पट्टे बाबत मिसल संख्या 22 दिनांक 05.01.1996 को संधारित की जाती है तथा उसमें यह उल्लेखित है कि उक्त पट्टा पंचायत के संकल्प संख्या 1 दिनांक 04.01.1996 को पारित किया गया, तो यह कैसे संभव है कि पट्टा संख्या 57 की पत्रावली प्रथम बार दिनांक 05.01.1996 को संधारित की जाती है और उक्त दिनांक से एक दिना पूर्व ही संकल्प संख्या 01 दिनांक 04.01.1996 पारित किया जाता है और उसके अनुसरण में दिनांक 15.02.1996 को पट्टा संख्या 57 जारी किया जाता है। इस प्रकरण में न्यायालय ने जो तर्क व सिद्धान्त प्रार्थी के पट्टे संख्या 73 में प्रतिपादित किया है वही तर्क व सिद्धान्त पट्टा संख्या 57 पर भी लागू होता है। प्रार्थी ने अपनी लिखित आपत्तियां पेश की उसके क्रम संख्या 6 में जो आपत्ति पेश की है वह पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं सिद्ध होती है। उपरोक्त विवेचन व साक्ष्य से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती संतोष के पति श्री रामदेव पुत्र श्री भागुराम के नाम से ग्राम पंचायत हरनावा पट्टी द्वारा जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 15.02.1996 झूठा व फर्जी है जिस बाबत न्यायालय ने भूलवश तथा अनभिज्ञता के कारण नोटिस में निहीं लिया, इस प्रकार न्यायालय ने निर्णय दिनांक 23.05.2016 पारित करने में भारी तथ्यात्मक व विधिक भूल की है।

E. इस प्रकरण में यह विधिक रूप से स्वीकारोक्त स्थिति है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर धारा 97 के प्रावधानों के अध्याधीन आदेश पारित कर सकेगी। हस्तगत प्रकरण में जब प्रार्थी ने अपनी लिखित आपत्तियां मय दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय की जानकारी में यह तथ्य ले आया कि अप्रार्थिया श्रीमती संतोष अपने पति के नाम से पट्टा होने का कथन करती है इस बाबत प्रार्थी ने ग्राम पंचायत हरनावां पट्टी के समक्ष नकल आवेदन पेश कर सूचना चाही जिस पर पंचायत ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 20.02.16 से यह सूचित किया कि श्री रामदेव पुत्र भागुराम के नाम से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उक्त लिखित जानकारी न्यायालय के ध्यान में लाने पर न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि पट्टा संख्या 57 दिनांक 15.02.1996 से संबंधित रिकॉर्ड

अतिरिक्त जिला कलक्टर

ग्राम पंचायत हरनावां पट्टी व ग्राम पंचायत इटावा लाखा से तलब कर उक्त पट्टा संख्या 57 की नियमितता बाबत स्वयं का समाधान करता तथा तदानुसार आदेश पारित करता, परन्तु इस प्रकरण में न्यायालय ने ऐसा नहीं करके भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है। इस विधिक व तथ्यात्मक भूल से निर्णय दिनांक 23.05.2016 का प्रभाव यह होगा कि अप्रार्थिया द्वारा पत्रावली पर पेश किया गया पट्टा संख्या 57/15.02.1996 अवैधानिक व फर्जी होने के बावजूद उसकी वैधानिक सम्पुष्टि न्यायिक निर्णय द्वारा हो गई तथा प्रार्थी व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के पूर्वी–न्याय के सिद्धान्त "Principle of Res judicata" से विबन्धित हो जायेगा तथा वह पट्टा संख्या 57 दिनांक 15.02.1996 को भविष्य में चुनौती नहीं दे पायेगा जबकि उसके द्वारा प्रकरण पंचायत निगरानी संख्या 05/2013 में इस बाबत् प्रत्यक्षतः व सारतः आपत्ति उठाई गयी है।

F. अतः उपर्युक्त विधिक परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 05/2013 (संतोष बनाम अनोप सिंह व अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2016 का न्यायहित में पुनिर्विलोकन करना आवश्यक होने सेयह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्यतः प्रस्तुत पंचायत पुनर्विलोकन मिमो में किये गये कथन को ही दोहराते हुये बहस में कथन किया कि :–

A. न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्धारित किया कि पट्टा संख्या 73, पट्टा संख्या 57 के पृष्ठ संख्या 02 में की गई अनाधिकृत प्रविष्टियों तथा पड़ौस का क्षेत्रफल विक्रय के संदर्भ में बनाया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को दोनो पट्टों अर्थात् पट्टा संख्या 57 दिनांक 15.02.1996 व पट्टा संख्या 73 दिनांक 10.03.1996 की विधिकता, औचित्य व उन बाबत हुई कार्यवाहियों की नियमितता के लिए स्वयं का समाधान करना चाहिए था, परन्तु न्यायालय ने ऐसा नहीं करके तथ्यात्मक व विधिक भूल की है।

B. पट्टा संख्या 73 के संबंध में न्यायालय ने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि "पट्टा संख्या 73 जो 10.03.96 को जारी किया गया है उससे संबंधित मिसल 173/5.2.96 को दायर की गयी तथा इस पट्टे में यह उल्लेखित किया गया है कि पंचायत के संकल्प संख्या 01 दिनांक 04.

जिला कल

01.96 को पारित किया गया, यह कैसे संभव है कि पट्टे की मिसल संख्या 173 प्रथम बार 05.02.96 को संधारित की गई हो तथा उसका प्रस्ताव एक महिने पहले 4.01.96 को पारित कर दिया जावे ?" इस प्रकरण में न्यायालय ने जो तर्क व सिद्धान्त प्रार्थी के पट्टे संख्या 73 में प्रतिपादित किया है वही तर्क व सिद्धान्त पट्टा संख्या 57 पर भी लागू होता है क्योंकि पट्टा संख्या 57 दिनांक 15.02.1996 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पट्टे बाबत मिसल संख्या 22 दिनांक 05.01.1996 को संधारित की जाती है तथा उसमें यह उल्लेखित है कि उक्त पट्टा पंचायत के संकल्प संख्या 1 दिनांक 04.01.1996 को पारित किया गया, तो यह कैसे संभव है कि पट्टा संख्या 57 की पत्रावली प्रथम बार दिनांक 05.01.1996 को संधारित की जाती है और उक्त दिनांक से एक दिना पूर्व ही संकल्प संख्या 01 दिनांक 04.01.1996 पारित किया जाता है और उसके अनुसरण में दिनांक 15.02.1996 को पट्टा संख्या 57 जारी किया जाता है।

C. हस्तगत प्रकरण में जब प्रार्थी ने अपनी लिखित आपत्तियां मय दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय की जानकारी में यह तथ्य ले आया कि अप्रार्थिया श्रीमती संतोष अपने पति के नाम से पट्टा होने का कथन करती है इस बाबत प्रार्थी ने ग्राम पंचायत हरनावां पट्टी के समक्ष नकल आवेदन पेश कर सूचना चाही जिस पर पंचायत ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 20.02.16 से यह सूचित किया कि श्री रामदेव पुत्र भागुराम के नाम से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उक्त लिखित जानकारी न्यायालय के ध्यान में लाने पर न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि पट्टा संख्या 57 दिनांक 15.02.1996 से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत हरनावां पट्टी व ग्राम पंचायत इटावा लाखा से तलब कर उक्त पट्टा संख्या 57 की नियमितता बाबत स्वयं का समाधान करता तथा तदानुसार आदेश पारित करता, परन्तु इस प्रकरण में न्यायालय ने ऐसा नहीं करके भारी कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है।

4. प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र 90 की अवधी में प्रस्तुत किये गया है, जो अन्दर मियाद होने से विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस में किये गय कथन, पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन व मनन पश्चात इस न्यायालय का यह मत है, कि पंचायत निगरानी संख्या 05/2013 बअनुवान संतोष बनाम अनोप सिंह वगै0 में न्यायालय ने पट्टा संख्या 57 दिनांक 15.02.1996 से संबंधित मूल

रिकॉर्ड ग्राम पंचायत से तलब नहीं किया गया जिस कारण पट्टा संख्या 57 की विधिकता बाबत् किसी प्रकार का विनिश्चय उक्त निगरानी में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2016 में नहीं किया गया फिर भी उक्त निर्णय दिनांक 23.05.2016 से पट्टा संख्या 57 दिनांक 15.02.1996 की वैधानिक सम्पुष्टि न्यायिक निर्णय द्वारा हो रही है। अतः निगरानी संख्या 05/2013 बअनुवान संतोष बनाम अनोप सिंह वगै. में पारित निर्णय निर्णय दिनांक 23.05.2016 का पुनर्विलोकन करना आवश्यक है।

–:आदेश:–

उपर्युक्त वर्णित विवेचन के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 05/2013 बअनुवान संतोष बनाम अनोप सिंह वगै0 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2016 अपास्त किया जाकर पंचायत निगरानी संख्या 05/2013 संतोष बनाम अनोप सिंह वगै0 को पुनः दर्ज कर सुनवाइ हेतु नम्बर पर लिया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

26.3.2021

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)